24.05.2024:—पत्रावली पेशी मे आई। वादी वकील उपस्थित नही आए। पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन पाया कि पत्रावली मे कोई आवश्यक कार्यवाही नही हो रही है। तलबी स्तर पर कापी समय से लंबित चल रही हैं। पूर्व दिनांक 08.01.2023 से कोष्ट पर चल रही है। वादी व वादी अधिवक्ता को बार–बार आवाज लगाई गई। अवाज लगाने के उपरान्त भी असालतन/वकालतन उपस्तिथ नही आये। वादी व वादी अधिवक्ता के उपस्थित नहीं आने के कारण वादपत्र वादी अदम पैरवी/अदम हाजरी मे खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर वाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Divya
Date: 2024.05.30 15:31:00 IST
Reason: SelfAttested